कार्यालय निदेशक,अल्पसंख्यक मामलात विभाग,राजस्थान,जयपुर।

विज्ञापन संख्याः–1 दिनांक 02.08.13

विज्ञप्ति

मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती 2013

कार्यालय निदेशक,अल्पसंख्यक मामलात विभाग,राजस्थान,जयपुर द्वारा राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनस्थ सेवा नियम –2013 के अंतर्गत 6000 शिक्षा सहायक के पदों पर सीधी भर्ती 2013 के लिए निर्धारित आन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमत्रित किये जाते है।

विशेष नोटः– Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें

मदरसा शिक्षा सहायक सीधी भर्ती–2013

1		राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनस्थ सेवा नियम –2013 के अंतर्गत 6000 पदों पर सीधी भर्ती 2013 के लिये निर्धारित ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमन्त्रित किये जाते है।
		विशेष नोट
	I	Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ फौजदारी कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।
	II	विज्ञापित पदों मे कमी या बढोतरी की जा सकती है, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।
	III	आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशो एवं नवीनतम नियमो के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी।

2		**आवेदन प्रकिया** आवदेन Online Application Form मे लिये जायेगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 10/– ऑनलाईन फीस जमा कराने तथा रूपये 25/– आवेदन पत्र ऑन लाईन करने हेतु अर्थात कुल रूपये 35/–अक्षरे रूपये पेंतीस मात्र की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। कॉल लैटर का प्रिन्ट आउट प्राप्त करने के लिये पृथक से 5/– रूपये का बेतौर शुल्क लिया जायेगा। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में कार्यालय,निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगे।
		नोटः– अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा फोटो प्रति सुरक्षित रखे। ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिट आउट अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर में दस्तावेजो के साथ सत्यापन के समय जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रति के अभाव में आवेदक का ऑन लाईन आवेदन पत्र कार्यालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर द्वारा अस्वीकार कर दिया जावेगा। चूकि यह भर्ती राज्य केडर के अनुसार है अतः मेरिट का निर्धारण भी राज्यवार किया जायेगा।
3		**आवेदन शुल्क** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क अथवा नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) में जमा करायेगा ।
	क	सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गा के आवेदक हेतु रूपये 275/–(रूपये दो सौ पिचहत्तर मात्र)
	ख	राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा नोन क्रीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गो के आवेदन हेतु रूपये 175/–(रूपये एक सौ पिचहत्तर मात्र)
	ग	समस्त निःशक्तजन एवं टी.एस.पी.एरिया के अनुसूचित जाति/जनजाति तथाबारां जिले की सहरिया जनजाति के आवेदन हेतु रूपये 75/– (रूपये पिचहत्तर मात्र)
	I	नोटः ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदन पत्र तथा विज्ञप्ति का प्रारूप वेबसाईट www.mea.minorityaffairs.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करले और उसे ऑनलाईन भरने से पूर्व हाथ से भरले ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
	II	आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्टआउट लेकर आश्वस्त हो लेवे कि सभी प्रविष्टियॉ सही भरी गई है। जो अभ्यर्थी Blind/Low visionदृष्टि दोष/कम दृष्टि श्रेणी मे आवेदन कर रहे है, उन्हे आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऑनलाईन भरे गये आवेदन को उन्होनें पूर्ण रूप से सही सुन एवं समझ लिया है। एतदर्थ पुष्टि स्वरूप ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर उस पर अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के हस्ताक्षर (मय नाम व पता) करवाकर ई–मित्र/सी.एस.सी.के संचालक को जमा करायेंगें।
	III	आवेदको की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा नागरिक

		सेवा केन्द्र (C.S.C.) की सूची वेबसाईट www.mea.minorityaffairs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
4		मदरसा शिक्षा सहायक के रिक्त पदो का विवरणः– निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर में मदरसा शिक्षा सहायक के पद की सम्भावित रिक्तियों की संख्या 6000 है।उक्त रिक्तियों मे आरक्षण नियमानुसार देय है।
5		शैक्षणिक (न्यूनतम) योग्यताः– आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित कर ली गई हो। निर्धारित न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार हैः– आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 8 या उससे उच्च स्तर तक उर्दु एक विषय सहित होना आवश्यक है।
6	1	**आरक्षणः–** उक्त रिक्तियों मे आरक्षण नियमानुसार देय है। शिक्षा सहायक भर्ती मे 12.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिको के लिये तथा 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित रहेगें। ये आरक्षण दण्डवत होगा एवं वर्गानुसार पद भरे जायेगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों से तात्पर्य ऐसे खिलाड़ियों से है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में भाग लिया हो तथा प्रथम/द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हुआ हो। **स्पष्टीकरणः–** स्पष्टीकरणः– "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है आरै उसमे सम्मिलित है राज्य के एसे खिलाड़ी जिन्होंने– (i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेटं मे व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा मे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या (ii) इंण्डियन स्कूल स्पोर्टस फेडरेशन या संबधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या (iii)इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेटं मे व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा मे मेडल जीता हो, या (iv)इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेटं में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा मे मेडल जीता हो,
	2	भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना,जलसेना,वायुसेना के किसी भी रैक में, योद्धक या योद्धक–भिन्न के रूप में सेवा की हो औरः–
	i	जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवा निवृत हुआ हो,या
	ii	जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारो पर, जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण,जो उसके नियत्रंण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोक्ता पेंशन प्रदान की गयी

		हो,
	iii	जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन से कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या
	iv	जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवा निवृति उपादान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गो के कार्मिक भी सम्मिलित हैः– (i) लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेन्शनधरक, (ii)सैन्य सेवा के लिए निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति, (iii) वीरता पुरस्कार विजेता ,
7	i (अ) (ब)	**निःशक्त व्यक्तियो ं के लियेः–** राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकरों का संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदो का आरक्षण भी दण्डवत रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जावेगा।
	(स)	निःशक्तजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का उल्लेख करे।
	(द)	ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी मे आते है, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों को (सामान अवसर, अधिकारो का सरं क्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी)नियम 2011 के अनुसार मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्त्ता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदो ं हेतु पात्र माना जावेगा।
	(य)	निःशक्तजन के आरक्षित पदो के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहींहोने की स्थिति मे इन पदो को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समानअवसर अधिकारो ंका संरक्षण ओर पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से भरा नही जासकता हो, वहॉ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा।
	(र)	राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारो ं का संरक्षण ओरपूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार (i) Blind/Low vision(BL) (ii) Hearing impармant (HI) तथा Locomotor Disability & Cerebral Palsy (LD/CP) श्रेणियों के लिये अलग–अलग आरक्षण दिया जायेगा।
	(ल)	विज्ञापित रिक्तियों में महिलाओ हेतु आरक्षण 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियो का आरक्षण दण्डवत (horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार

		(categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण सबं धित प्रवर्ग मे जिसकी महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा। **स्पष्टीकरणः—** **अ**—किसी वर्ग (समान्य/अ.जा.अन.जन.जा.अन्य पिछड़ावर्गो (नोन क्रीमीलेयर)) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पद के उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियो से भरा जावगे । अन्य पिछडा वर्ग के केटेगरी मे आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नोनक्रीमीलियर का विधि मान्य नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। **ब—**महिलाओ हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदो में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अ.जन.जा./अन्य पिछडा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/ परितयक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला)अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियो ं से भरा जायेगा। **स—**मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओ ं के मामलों मे न्यायालय की तलाक की डिग्री के अलावा तलाक नामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाक नामा भी मान्य होगा,परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करे, एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
	(ii)	अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्गो के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्यपिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियो जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी है, से ही भरे जावेगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
	(iii)	विज्ञापित पदों मे राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लियेआरक्षित पदों हेतु पात्र एव ं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदो ं कोकार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार आरक्षितरिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणित किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।
	(iv)	राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्गो (नोन क्रिमिलेयर) उत्कृष्ट खिलाडियो ं तथा भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षित पदो ं हेतु पात्र एव उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा।
	(v)	राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्गो की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गो (क्रीमिलयर एवं नोन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है।
	(vi)	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP AREA) के आरक्षित पद जिला (बांसवाड़ा/डूगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही/बांरा)के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों से भरे जायेगे। जिला (बांसवाड़ा/डूगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही/बांरा) के टी.एस.पी. क्षेत्र के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST.TSP.AREA) उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान राज्य के अन्य जिलो केअनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (S.T.-TSP AREA) से भरे जा सकेगें।

	(vii)	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.5.2013 के अनुसार बारां जिले मे 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जावेगी। अनुसूचित जनजाति के 6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों के लिये 8 प्रतिशत ,पिछडी वर्ग की जातियों के लिये 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछडा वर्ग की जातियो के लिय 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओ ं के अध्ययाधीन रहेगी । **नोट :** क्रिमिलियर में नहीं होने का सम्बन्धित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा एक बार क्रिमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे ं भी क्रिमिलियर मे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है अर्थात् क्रिमिलियर मे ं नहीं होने बाबत जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को जारी होने की तिथि से 3 वर्ष (अधिकतम) तक मान्यता दी जा सकेगी ।

8		**वेतनमानः–** राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन) नियम–2008 के नियम 21 की अनुसूची के अनुसार परीवीक्षा काल मे ं नियत फिक्स पारिश्रमिक रू. 5850/–मासिक देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता,महंगाई भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। पूर्व में संस्थाई सवे ारत अभ्यर्थियो को चयन से पूर्व विघमान सवंर्ग के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने की सुविधा रहेगी एवंम् नियमानुसार भत्ते देय होगे ऐसे अभ्यर्थियो को वेतन वृद्वि का लाभ परिवीक्षाकाल समाप्ति के बाद ही देय होगा। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम में निहित संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होगें दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड पे 1850 वेतन देय होगा। दिनांक 01.01. .2004 से नई भर्ती/नियुक्ति होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9		**आयु :–** राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनस्थ सेवा नियम –2013 के अनुसार दिनांक 1.1.2014 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण करली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये। निम्नलिखित श्रणी के अभ्यर्थियो को निम्नानुसार आयु सीमा मं छूट देय हैः– i. पुरूष अभ्यर्थी अनु.जाति/जन जाति./पिछड़ावर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग को उपरी आयु सीमा मे ं 5 वर्ष की छूट देय है। ii. महिला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है। iii. राजस्थान की महिला अभ्यर्थी अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग तथा विशेष पिछड़ावर्ग को 10 वर्ष की छूट देय है। iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। v. विधवाओ एवं तलाकशुदा महिलाओ ं के मामलो ं मे ं कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण : विधवा अभ्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का

		प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा अभ्यार्थी को नियमानुकूल तलाक का सबूत (सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा काजी द्वारा जारी तलाकनामा मय दो स्वतन्त्र साक्षियो के शपथ पत्र सहित, जो भी लागू हो) देना होगा। vi जो व्यक्ति राज्य सेवा में अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे उनके लिए उपरी आयु सीमा में राज्य सेवा में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी । vii ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर राज्य सेवा कर चुका है और इन नियमो के अधीन वह नियुक्ति का पात्र हो उस पर उपरी आयु सीमा लागू नहीं होगी । viii ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कारावास की अवधि के बाबत कालावधि तक शिथिलन देय है। ix ऐसे कैडेट अनुदेशको के मामले में उपरी आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कौर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जावेगा । x राज्य के कार्यकलापो के संबंध में पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम, और पचं ायत समिति तथा जिला परिषद मे ं अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी । xi निर्मुक्त आपात कमिशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमिशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हो, आयु सीमा में समझा जावेगा, चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि ये सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हो । xii मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसा के अधीन कार्यरत व्यक्ति एवं मदरसा बोर्ड में कार्यरत (ऐसे व्यक्ति जो प्लेसमेन्ट एजेन्सी से नियुक्त न हो) यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा मे ं ही समझा जावेगा चाहे उन्होनें सीधी भर्ती के समय आयु सीमा पार कर ली हो । xiii राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का सरं क्षण और पर्णू भागीदारी) नियम 2011 के प्रावधानो ं के अनुसार सामान्य वर्ग/अन्य पिछडा वर्गो तथा एस.सी./एस.टी. के विकलांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है। नोटः 1. उपरोक्त पैरा के प्रावधान (i) से (xiii) तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान Non cumulative है अर्थात अभ्यार्थियो ं को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधनो ं को जोडकर छूट का लाभ देय नहीं होगा । 2. उपरोक्तानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध होगा ।
10	i.	**<u>नियुक्ति हेतु निरर्हता</u>** ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानोवाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानो की सखं या मे ंबढोतरी नहीं होती, परन्तु यह

			और कि जहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चो को एक इकाई समझा जावगो परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।
		ii.	कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
		iii.	कोई भी महिला अभ्यार्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नही होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यार्थी को छूट देय नही है।
		iv.	किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनस्थ सेवा नियम–2013 के नियम 27 के अनुसार नियोजन के लिये अपात्र व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जावेगा।
11			**ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक :** आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 05.09.2013 को रात्रि 11.30 बजे तक है। इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदको को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किये बिना ऑनलाईन आवदे न करे। शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक 04.09.2013 सांयकाल 6.00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् आवेदन शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।
12			**चयन का आधारः–** (अ)**शैक्षणिक योग्यता एवं अनुग्रह अंक** आवेदक का चयन सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत तथा पूर्व में कार्यरत कार्मिको को प्राप्त होने वाले अनुग्रह अंको के योग के आधार किया जायेगा। (सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांको का 70 प्रतिशत वेटेज दिया जावेगा)। मदरसा पैराटीचर/मदरसा कम्प्यूटर पैराटीचर एवं मदरसा बोर्ड में कार्यरत (ऐसे व्यक्ति जो प्लेसमेन्ट एजेन्सी से नियुक्त न हो) को अनुग्रह अंक प्रदान किये जा सकेगे। उपरोक्त किसी भी कार्मिक को एक वर्ष से कम अवधि के अनुभव पर किसी प्रकार का अनुग्रह अंक अनुज्ञात नहीं होगा। तदनुसार प्राप्त प्रतिशत में निम्नानुसार अनुग्रह अंक जोडे जाकर अभ्यर्थियों की मैरिट निर्धारित की जावेगीः–

क.सं.	अवधि	अनुग्रह अंक
	1वर्ष से अधिक परन्तु 2वर्ष से कम अनुभव पर	10
	2वर्ष से अधिक परन्तु 3वर्ष से कम अनुभव पर	20
	3वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक अनुभव पर	30

नोटः राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनस्थ सेवा नियम –2013 के नियम 25 के अनुसार अनुभव की गणना 05 सितम्बर, 2013 तक की जावेगी।

स्पष्टीकरण :–

(अ) जहां कही अंको का प्रतिशत सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में अभ्यर्थी को दी गई ग्रेड मे Cumulative Grade Point Average (CGPA) के आधार पर प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस हेतु संबंधित शिक्षा बोर्ड के निर्देशो/प्रतिशत सूत्र के आधार पर प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। शिक्षा सहायक के पद पर शैक्षणिक योग्यता सैकेण्डरी परीक्षा के प्राप्तांक ही चयन का आधार होगा। न्यूनतम योग्यता के अलावा अन्य उच्चतर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक वरीयता निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं होगें। उपरोक्त किसी भी कार्मिक को एक वर्ष से कम अवधि के अनुभव पर किसी प्रकार का अनुग्रह अंक अनुज्ञात नहीं होगा।

नोटः–अनुभव प्रमाण पत्र में अवकाश अवधि/प्रशिक्षण अवधि/प्रतिनियुक्ति तथा ग्रीष्मावकाश को सम्मिलित किया जायेगा।

(ब) समान मैरिट होने पर चयन बाबत मानदण्डः–

समान वरीयता प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियो के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्मतिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण किये गये वर्ष के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी।

अनुभव प्रमाण पत्र

कार्यालय :

क्रमांकः   दिनांकः

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.............पुत्र/पुत्री................ कार्यालय/विधालय..............................पद.....................पर कार्यरत है/थे। श्री/श्रीमती/सुश्री/...............................उक्त पद पर निम्नानुसार कार्यरत है/थे।

1.दिनांक ....से दिनांक..............................तक।
2.दिनांक ....से दिनांक...............................तक।
3. दिनांक.................................से दिनांक...............................तक।
4. दिनांक.................................से दिनांक ....तक।

उक्त विवरण के अनुसार इनका कुल अनुभव वर्ष ....माह........ है।

इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जॉच विचाराधीन नहीं है और ना ही दण्डित किया गया है।

		नोटः– राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधिनस्थ सेवा नियम –2013 के नियम 25 के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र में अवकाश अवधि/प्रशिक्षण अवधि/प्रतिनियुक्ति तथा ग्रीष्मअवकाश को सम्मिलित किया जायेगा। अनुभव की गणना 05 सितम्बर, 2013 तक की जावेगी । दिनांक .... (हस्ताक्षर) हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय पदनाम मोहर

	1	**आवेदन कैसे करेः–** अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करने से पूर्व निम्नानुसार तैयारी रखे।
	(अ)	आवेदक अपनी पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो JPG,JPEG,GIF,PNG (अधिकतम 50 के.बी.की स्केन करे)
	(ब)	स्केन की गयी नई रंगीन फोटो JPG,JPEG,GIF,PNG को अपलोड करें।
	(स)	आवेदक अपने हस्ताक्षर (अधिकतम 50 के.बी.)स्केन कर अपलोड करे। इसके साथ निम्न दस्तावेज भी स्केन कर अपलोड करवाये जावेः– (i) **अनुभव प्रमाण पत्र** (ii) स्केन हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ आवेदक वेबसाईट www.mea.minorityaffairs.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करने की लिये उपलब्ध दिशा–निर्देशो का सावधानी से अवलोकन करे।
	(द)	आवेदन पत्र प्राप्तिः– मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती 2013 के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाईट www.mea.minorityaffairs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। **ऑनलाईन आवेदन करनाः–** आवेदक आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की ऑनलाईन सही पूर्ति करें। आवेदक को उसके द्वारा दिये गये ई–मेल आईडी./मोबाईल नं.पर संदेश (एस.एम.एस.) द्वारा दस्तावेज जांच हेतु उपस्थित होने की सूचना दी जा सकेगी। अतः
	(य)	आवेदक अपना मोबाईल नं./ईमेल आई.डी. अंकित करे।
	(र)	आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क नियमानुसार आवेदन शुल्क राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क अथवा नागरिक सवेा केन्द्र (C.S.C.) मे जमा करवायेगा। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करे।
	(ल)	(iv) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र में एडिटिंग की अनुमति नहीं है। आवेदन पत्र हेतु परीक्षा शुल्क जमा कराने की

	(व)	रसीद में दर्ज विवरण (नाम,पिता का नाम ,जन्मतिथि,मूल निवास ,श्रेणी तथा आवेदित जिले का नाम) के बारे में सुनिश्चितता कर ले, क्योंकि फीस जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण ही आनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज होगा । अभ्यर्थी फीस जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उक्त रसीद को उसी दिन निरस्त कर सही विवरण दर्ज कराते हुए आवेदक नये सिरे से रसीद प्राप्त कर सकेगा। रसीद जमा कराने की तिथि के पश्चातवर्ती दिवसों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अभ्यार्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। ऑनलाईन सबमिट के पश्चात् श्रेणी परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा। (v) आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक अर्थात दिनांक 04.09.2013 को सांय 6.00 बजे तक ही शुल्क जमा करवा सकेगें। उक्त अवधि के बाद शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलबध नहीं होगी। (vi) आवेदक द्वारा अन्तिम बार भरा हुआ ऑनलाईन फार्म ही मान्य होगा।
	 (अ) (ब) (स)	**प्रमाण पत्रो का सत्यापनः–** दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर में ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति मय अपलोड किये गये दस्तावेज (सैकण्डरी अंकतालिका की मूल प्रति, सैकण्डरी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की मूल प्रति) निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हताओ तथा उर्दु विषय का कक्षा 8 से उच्च स्तर तक किसी भी कक्षा में उर्दु विषय का प्रमाण एवं वर्ग विशेष (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्गो/निःशक्तजन) से संबंधित प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी। वर्ग विशेष(अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछडा वर्गो/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगाः– (अ) जाति प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है। (ब) अन्य पिछडा वर्गो के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर/नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही सही एवं पूर्ण भरी गई हो। इस हेतु आवेदक को विधि मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (स) अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछडा वर्गो/निःशक्त जन का प्रमाण पत्र ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म में प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये, अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुये प्रमाण पत्रो के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जावेगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्गो के क्रीमिलेयर एवं राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

	(द)	अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आनलाईन आवेदन पत्र पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। अन्य पिछडा वर्गो का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात जारी (विधि मान्य) किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्गो की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में एसा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अ.जा./अ.ज.जा की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। निःशक्तजन का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, जो कि ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये।
14		**विस्तृत आवेदन पत्र जमा करानाः—** विस्तृत आवेदन पत्र उन अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः प्रस्तुत करना होगा, जिन्हे मैरिट में स्थान प्राप्त करने पर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। समाचार पत्रो मे प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि को विस्तृत आवेदनपत्र मय सम्यक दस्तावेज तथा मूल प्रमाणपत्रो सहित प्रस्तुत नहीं करने पर आवदेक की पात्रता स्वीकार नहीं की जावेगी। पात्र आवेदको को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विस्तृत आवेदन पत्र तथा मूल दस्तावेज जॉच हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। विस्तृत आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट www.mea.minorityaffairs.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर लेवे।
15	(अ) (ब)	अन्यः— आवेदको द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से सम्मिलित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावजो की वैधता एव पात्रता सबं धी जाचं करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह—13/2006 दिनांक 22.5.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना

	(स)	होगा।
		किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया
	(द)	होगा।
		किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनाक तक समाप्त नहीं
	(य)	हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
		सभी आवेदक चाहे वे पहले से राजकीय सेवा में हो या राजकीय औधोगिक उपक्रमो मे हो या किसी प्रकार के अन्य सगंठनों मे ं हो,या गैर सरकारी सस्ंथा में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा उक्त उपक्रमो ं में कार्यरत है, उन्हे ं अपन े नियोक्ता को इस भर्ती मे सम्मिलित होने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।
16		**कृपया ध्यान देवेंः –** (1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक. 05.09.2013 को रात्रि 11.30 बजे तक ऑनर्लान आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें। तत्पश्चात् उक्त वेबसाईट पर उपलबध आर्नलाईन सिस्टम स्वतः ही बन्द हो जायेगा। (2) आवेदक को हिदायत दी जाती है कि आर्नलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के विज्ञापन एवं ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के निर्देशो के साथ–साथ संबधित सेवा नियमो ं का भली प्रकार अध्ययन कर लेवें। (3)चयनित अभ्यर्थियो ं को शैक्षणिक तथा अनुभव प्रमाण पत्रो ं के सत्यापन के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें। (4)आवेदन से संबधित जानकारी के लिये कार्यालय के दूरभाष 0141 2744969 / 2744838 / 2744738 पर सम्पर्क कर सकते है। (5)राज्य स्तर पर टोल फ्री हैल्प लाईन नं. 0141 2744969 पर सांयः 6.00बजे तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **निदेशक,** **अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर**